रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052022-236041
CG-DL-E-26052022-236041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 2022/ज्येष्ठ 5, 1944
No. 377]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 2022/JYAISHTHA 5, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2022

सा.का.नि. 398(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में द्वितीय कमान (इंजीनियर), समूह 'क' के पद पर भर्ती के पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, द्वितीय कमान (इंजीनियर), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अधिवर्षिता— ऐसे अधिकारी जो द्वितीय कमान (इंजीनियर) का उक्त रैंक धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे।

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, अर्थात् साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह का संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के चिकित्सा देख-रेख पद्धति में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में हैं, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर भी नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे ।

7. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. गैर भारतीय नागरिकों की अपात्रता.- कोई भी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु इन नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बल में नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति या नियोजन में मना नहीं किया जाएगा।

9. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
द्वितीय कमान (इंजीनियर)	8*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800–209200रू.)	चयन पद ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएँ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नही होता।	लागू नही होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति द्वारा: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में स्तर-11 में ऐसे उप कमांडेंट(इंजीनियर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा के साथ इंजीनियरी काडर में समूह 'क' में कुल दस वर्ष सेवा की है और जिन्होंने विहित पूर्व-प्रोन्नतीयतीय पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; 3. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य; 4. महानिरीक्षक(इंजीनियर) या उप महानिरीक्षक (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-12022/23/2021-संगठन]

पी. वेणुकुट्टन नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2022

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) read with clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Second-in-Command (Engineer), Group 'A' post in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Second-in-Command (Engineer), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be such as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc..— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Superannuation.— Officers holding the said rank of Second-in-Command(Engineer) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of Sixty years.

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. Sixty years.

5. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for promotion and appointment including appointment on deputation or re-employment under the provisions of these rules**.**

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Ineligibility of non-citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

9. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Second-in-Command (Engineer).	8* (2022) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 12 (Rs.78800 -209200) in the pay matrix.	Selection post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
By Promotion: From amongst Deputy Commandant (Engineer) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 11 with five years regular service in the grade with total ten years Group 'A' service in the Engineering cadre and having successfully completed the prescribed pre-promotional course. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A ' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :- 1. Director General or Additional Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member; 3. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; 4. Inspector General(Engineer) or Deputy Inspector General (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force - Member.	Not applicable.

[F. No. I-12022/23/2021-Org.]

P. VENUKUTTAN NAIR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.26 22:16:29 +05'30'